न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 160 / 2019 दायर दिनांक–05.09.2019

कमला देवी पत्नी श्री इन्द्राज सिंह जाति जाट निवासी जेजूसर तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

– वादीगण

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र श्री गोरधन जाति जाट निवासी ग्राम जेजूसर तहसील नवलगए जिला झुन्झुनू।
2. इन्द्राज सिह पुत्र हनुमान जति जाट निवासी निवासी जेजूसर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
3. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : श्री प्रदीप कुमार झाझडिया
वकील प्रतिवादी : – श्री सुनील कुमार

दावा घोषणार्थ, विधिवत् विभाजन

:: निर्णय :: दिनांक – 07.01.2020

वादी ने एक वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम जेजूसर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद मे आराजी नये खसरा नम्बर 291 रकबा 2.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 873 / 558 रकबा 0.65 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.25 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजी मे वादिया कमला देवी का हिस्सा 131 / 325 है व प्रतिवादी संख्या 1 अनिल कुमार का हिस्सा 27 / 325 एवं प्रतिवादी संख्या 2 इन्द्राज सिंह का हिस्सा 167 / 325 है उक्त आराजी मे वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य हक हिस्से बाबत कोई विवाद नही है वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा राजस्व अभिलेख मे जिस प्रकार से दर्ज है सही दर्ज है। उक्त आराजी को आगे वाद पत्र मे सुविधा के लिए वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है । वादिया का विवाह करीब 35 वर्ष पूर्व गोरधन पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी जेजूसर के साथ सम्पन्न हुआ था। उक्त विवाह के कुछ समय पश्चात वादिया

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

के पति गोरधन पुत्र हनुमान का स्वर्गवास हो गया। गोरधन की मृत्यु के उसके उत्तराधिकारी उसका पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 अनिल कुमार व वादिया कमला देवी थे। जिनके नाम से गोरधन के हिस्से की भूमि का राजस्व अभिलेख दर्ज हो गया। गोरधन के स्वर्गवास के पश्चात वादिया ने हिन्दू धर्म मे प्रचलित रिती रिवाज के अनुसार गोरधन के छोटे भाई प्रतिवादी संख्या 2 इन्द्राज सिंह के साथ विवाह कर लिया। वादिया का नाम गोरधन से विवाह होने के पश्चात कमला पत्नी गोरधन हो गया तथा गोरधन के स्वर्गवास के पश्चात वादिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 इन्द्राज से पुनः विवाह करने पर वादिया का नाम कमला देवी पत्नी इन्द्राजसिंह हो गया। वर्तमान मे वादिया को कमला देवी पत्नी इन्द्राज के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है तथा वादिया के समस्त दस्तावेज भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, राजस्थान सरकार द्वारा जारी भामाशाह कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र मे वादिया का नाम कमला देवी पत्नी इन्द्राज सिंह है। परन्तु वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेख मे वादिया का नाम कमला देवी पत्नी गोरधन दर्ज है। वादिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 इन्द्राज सिंह के विवाह करने के पश्चात वादिया का नाम कमला देवी पत्नी इन्द्राज सिह हो गया तथा वादिया के समस्त पहचान सम्बन्धि समस्त दस्तावेजात मे वादिया का नाम कमला देवी पत्नी इन्द्राज सिंह है। कमला देवी पत्नी गोरधन व कमला देवी पत्नी इन्द्राज दोनो नामो की एक ही महिला वादिया ही है। परन्तु राजस्व अभिलेख मे वादिया का नाम कमला देवी पत्नी गोरधन दर्ज होने व वादिया के पहचान सम्बन्धित दस्तावेज कमला देवी पत्नी इन्द्राज सिह होने से वादिया को अनेक परेशानियो का सामना करना पड़ता है। वादिया द्वारा गोरधन के स्वर्गवास के पश्चात इन्द्राज सिंह से पुनः विवाह करने के पश्चात वादिया इन्द्राज सिंह की पत्नी है व वादिया को कमला देवी पत्नी इन्द्राज सिह के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है और वादिया के पहचान सम्बन्धि समस्त दस्तावेजात मे वादिया का नाम कमला देवी पत्नी इन्द्राज सिंह दर्ज है। इसलिए वाद पत्र की मद संख्या 1 मे वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेख मे कमला देवी पत्नी गोरधन के स्थान पर कमला देवी पत्नी इन्द्राज सिंह को

उपखण्ड अधिकारी
नदबई

Scanned by CamScanner

खातेदार काश्तकार घोषित किये जाना आवश्यक है। जिसके लिए उक्त वाद श्रीमान् जी की सेवामें पेश है। कमला देवी पत्नी गोरधन व कमला देवी पत्नी इन्द्राज सिंह दोनो नामों की एक ही महिला वादिया ही है । इस प्रकार के घोषणा के लिए वाद कारक हमेशा ही पैदा रहता है। वादग्रस्त आराजी अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार मे स्थित है। इसलिए अदालत हाजा को उक्त वाद सुनने का पूरा–पूरा क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

वादिया द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि वाद बहक वादिया खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वाके ग्राम जेजूसर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद मे स्थित आराजी नये खसरा नम्बर 291 रकबा 2.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 873/558 रकबा 0.65 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.25 हैक्टर मे कमला देवी पत्नी गोरधन के स्थान पर कमला पत्नी इन्द्राज सिंह को खातेदार कातश्कार घोषित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख मे अंकन हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जावे। अन्य कोई सिद्धि जो चाही जाने से रह गई है और वादिया के पक्ष मे पड़ती है वह भी दिलवाई जावे ।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से वकील श्री सुनील कुमार उपस्थित हो अपना वकालतनामा पेश कर इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। तथा प्रतिवादी नम्बर 3 की ओर से बावजूद तामिल के इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नम्बर 02 को बार बार रूक रूक कर आवाज लगवाई गई के बावजूद इनकी ओर से कोई भी उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण एक तरफा होने से साक्ष्य वादी में वादी श्रीमती कमला देवी के चीफ के शपथ पत्र पेश किये। पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते तस्दीक करने राजनीमा पेश कर निवेदन किया गया कि उनवानी दावे में वादी व प्रतिवादी अनिल कुमार में राजीनामा लोक अदालत की भावना से हो गया है। दावे में चाहे गये अनुतोष के अनुसार वादी का वाद डिकी किया जाने में प्रतिवादी नम्बर 1 को कोई एतराज नही है। वकील पक्षकारान द्वारा विभाजन करने हेतु सहमति प्रदान की। पत्रावली में उपलब्ध

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

दस्तावेजात् एवं पत्रावली का अवलोन किया गया। लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः राजीनामा के आधार पर वाद वादिया स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम जेजूसर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद मे स्थित आराजी नये खसरा नम्बर 291 रकबा 2.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 873/558 रकबा 0.65 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.25 हैक्टर मे कमला देवी पत्नी गोरधन के स्थान पर कमला पत्नी इन्द्राज सिंह दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। अतः तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे। तदनानुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 07.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7-1-2020

उपखण्ड अधिकारी

(मुरारीलाल शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Scanned by CamScanner

ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास तोगडाकला
मुरारी लाल शर्मा (आर०ए०एस०) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा : बाबत घोषणार्थ,

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा सं0:– 160/2019 **(कमला देवी बनाम अनिल कुमार वगैरह)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर०ए०एस०),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ बहाजिरी. वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 07.01.2020 के निर्णय अनुसार वाद वादिया स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम जेजूसर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद मे स्थित आराजी नये खसरा नम्बर 291 रकबा 2.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 873/558 रकबा 0.65 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.25 हैक्टर मे कमला देवी पत्नी गोरधन के स्थान पर कमला पत्नी इन्द्राज सिंह दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। अतः तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

जिन...........–............ मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह. ....–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।
बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 07 माह 01 सन 2020 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बावत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	8.00	.	0.00

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.02.14 13:42:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: